मु0न0:–59/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः– 06.07.2023

मु0न0 59/2023

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. अर्जुन पुत्र जयसिह
2. पीतम पुत्र जयसिंह
3. लखन पुत्र जयसिह
   जातियान गूर्जर निवासी महमदपुर तहसील टोडाभीम।

(सायलान)

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र बीरबल
2. उदयसिंह पुत्र रामखिलाडी
3. भरत पुत्र रामखिलाडी
4. प्रकाश पुत्र रामखिलाडी
5. अजय पुत्र रामखिलाडी
6. उदयसिंह पुत्र कल्याण
7. द्रो पुत्री कल्याण
8. लाडोदेवी पुत्री कल्याण
9. रेशम देवी पत्नि कल्याण
   समस्त जाति गूर्जर निवासी महमदपुर तहसील टोडाभीम।
10. तहसीलदार टोडाभीम

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपरिस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादीगण

निर्णय   दिनांक 20.08.2024

सायलान द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम महमदपुर की आराजी ख0न0 164/1.30 मे सायल न0 1 बहिस्सा 1/3, सायल न0 2 बहिस्सा 1/15, वादी न0 3 बहिस्सा 4/15 के खातेदार है तथा शेष हिस्से के खातेदार मूलवाद के प्रतिवादी न0 6 ता 9 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 1010/1925/0.05, 1045/2005/0.05, 1049/0.34, 1107/0.03, 1108/1924/0.03, 1109/1922/0.05, 1110/0.29, 1143/0.10, 1147/0.19, 1544/2173/0.05, 1731/0.11, 1803/0.11, 1806/0.12, 271/2036/0.10, 806/0.02, 808/1.08, 812/2038/0.39, 904/0.10, 905/0.02, 906/0.20 कुल किता 20 कुल रकवा 3.43 है0 मे सायल न0 1 बहिस्सा 1/6, सायल न0 2 बहिस्सा 1/6, सायल न0 3 बहिस्सा 4/6 के खातेदार है तथा शेष हिस्से के मूलवाद के प्रतिवादी न0 6 ता 9 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान का विवादित आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। जो बिना अधिकार के वादीगण की सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करना चाहते है। जबकि कानूनी रूप से उन्हे कोई अधिकार किसी प्रकार का नही है।

बॉका दिनांक 28.06.2023 को [illegible] आराजी मे अगली फसल के लिए सूल–बबूल साफ कर रहे थे कि गैरसायलान आये [illegible] वादीगण से बोले की तुम इस आराजी मे ये क्या कर रहे हो इस पर सायलान ने प्रतिवादीगण से कहा कि जो

Signature Not Verified
Digitally signed by: Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:15:47 IST
Reason: SelfAttested

जमीन हमारे नाम है हम ही काश्त करेगे तुम्हारा इस आराजी से कोई संबध नही है। इस प्रकार गैरसायलान अपनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी।

सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति नही होकर सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान बखिलाफ गैरसायलान स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम महमदपुर की आराजी ख0न0 164/1.30, 1010/1925/0.05, 1045/2005/0.05, 1049/0.34, 1107/0.03, 1108/1924/0.03, 1109/1922/0.05, 1110/0.29, 1143/0.10, 1147/0.19, 1544/2173/0.05, 1731/0.11, 1803/0.11, 1806/0.12, 271/2036/0.10, 806/0.02, 808/1.08, 812/2038/0.39, 904/0.10, 905/0.02, 906/0.20 है0 मे सायलान के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे, बेदखल नही करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

सायलान वकील की बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ख0न0 164/1.30 मे सायल न0 1 बहिस्सा 1/3, सायल न0 2 बहिस्सा 1/15, सायल न0 3 बहिस्सा 4/15 के खातेदार है तथा शेष हिस्से के मूल वाद के प्रतिवादी न0 6 ता 9 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा कुल किता 20 कुल रकवा 3.43 है0 मे सायल न0 1 बहिस्सा 1/6, सायल न0 2 बहिस्सा 1/6, सायल न0 3 बहिस्सा 4/6 के खातेदार है तथा शेष हिस्से के मूल वाद के प्रतिवादी न0 6 ता 9 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायल न0 1 ता 5 का विवादित आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। जो बिना अधिकार के वादीगण की सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करना चाहते है। जबकि कानूनी रूप से उन्हे कोई अधिकार किसी प्रकार का नही है। सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे बखूबी साबित है। तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हुई तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। जिसकी पूर्ति होना संभव नही है। जबकि गेरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। इसलिये न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.07.2024 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

सायलान वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम महमदपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के खाता न0 456 मे सायल न0 1 बहिस्सा 1/3, सायल न0 2 बहिस्सा 1/15, सायल न0 3 बहिस्सा 4/15 के खातेदार है तथा शेष हिस्से के मूल वाद के प्रतिवादी न0 6 ता 9 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खाता न0 332 मे कुल किता 20 कुल रकवा 3.43 है0 मे सायल न0 1 बहिस्सा 1/6, सायल न0 2 बहिस्सा 1/6, सायल न0 3 बहिस्सा 4/6 के खातेदार है तथा शेष हिस्से के मूल वाद के प्रतिवादी न0 6 ता 9 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी न0 1 ता 5 का विवादित आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहे है। इसलिये प्रकरण प्रथम दृष्टया सायलान के पक्ष मे साबित है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे साबित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:15:47 IST
Reason: SelfAttested

है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से ता दावा फैसला स्वीकार किया जाता है।

अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.07.2023 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम महमदपुर की आराजी ख0न0 164/1.30, 1010/1925/0.05, 1045/2005/0.05, 1049/0.34, 1107/0.03, 1108/1924/0.03, 1109/1922/0.05, 1110/0.29, 1143/0.10, 1147/0.19, 1544/2173/0.05, 1731/0.11, 1803/0.11, 1806/0.12, 271/2036/0.10, 806/0.02, 808/1.08, 812/2038/0.39, 904/0.10, 905/0.02, 906/0.20 मे ता दावा फैसला मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:15:47 IST
Reason: SelfAttested